करोड़ रुपये का ही हुआ। यहां 42 करोड़ रुपये का वितरण शेष है। संभव हो पाया है। अभी 21.86 करोड़ रुपये का वितरण शेष है। वितरण हुआ और अभी 55.59 करोड़ रुपये बांटे जाने शेष हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 407/2023

सत्र 2023–2025 के लिये राज्य के इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में इण्टरमीडिएट कक्षा में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु तिथि विस्तारित करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023–2025 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली से स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए समिति की विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 391/2023 के माध्यम से दिनांक 02.11.2023 से 10.11.2023 तक संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन लेने हेतु तिथि निर्धारित किया गया था।

2. **विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुये इण्टरमीडिएट कक्षा में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की तिथि 15.11.2023 तक विस्तारित की जाती है।**

3. विभिन्न +2/इण्टर महाविद्यालय के प्राचार्य स्पॉट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों संबंधी सूचना अपने कॉलेज के न्यूनतम तीन स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे।

4. स्पॉट नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थी जिस संकाय एवं विषय में सीट रिक्त है, वहाँ नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे एवं संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन ले सकेंगे। C.B.S.E, C.I.S.C.E एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकते हैं।

5. OFSS नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रथम/द्वितीय सूची में चयनित तथा नामांकित विद्यार्थी जिन्होनें नामांकन के पश्चात् स्लाईड–अप का विकल्प दिया था, लेकिन स्लाईड–अप वाले संस्थान में अंतिम रूप से नामांकन नहीं ले सके, ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका पूर्व में लिया गया नामांकन स्वतः रद्द हो गया है तथा उन्हें स्पॉट नामांकन के तहत नामांकन लेने के लिए फिर से ऑनलाईन आवेदन करना होगा, अन्यथा वे इण्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे।

6. इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि वैसे शिक्षण संस्थान जहाँ कतिपय तकनीकी एवं अन्य कारणों से नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को ऑनलाईन अपडेशन नहीं किया जा सका है, वैसे विद्यार्थियों को भी स्पॉट नामांकन की अवधि के दौरान ऑनलाईन अपडेशन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

7. यह भी सूचित किया जाता है कि स्पॉट नामांकन के तहत जिन विद्यार्थियों का नामांकन विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ससमय अपडेट नही किया जा सका था, वे भी इस अवधि में अपडेट करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रत्येक दिन नामांकन के पश्चात् संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय OFSS Portal पर प्रत्येक नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन Update करेंगे तथा सभी नामांकित विद्यार्थियों का अंतिम रूप से ऑनलाईन अपडेशन दिनांक **16.11.2023 तक** करना सुनिश्चित करेंगे। समिति द्वारा ऐसे सभी नामांकित विद्यार्थियों को वर्ष 2025 में होने वाले वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए सूचीकरण किया जायेगा।

9. **स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के संबंध में शेष सभी शर्तें समिति द्वारा पूर्व संसूचित विज्ञप्ति संख्या– पी०आर० 225/2023 के अनुसार यथावत् रहेंगी।**

संयुक्त सचिव (OFSS)

Scanned with CamScanner